कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

E-Mail- election09@gmail.com ceo_uttaranchal@eci.gov.in

2184 संख्याः /XXV–21/2023 देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर 2023.

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में अनुभाग अधिकारी, 01 पद, समीक्षा अधिकारी, 02 पद तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के 05 पदों पर विभिन्न विभागों से रिक्ति के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्मिकों से सम्बधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अग्रसारण करते हुए आमंत्रित किये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 30 नवम्बर 2023 के समय 05:00 बजे अपरान्ह तक निर्धारित की गयी है। आवेदन पत्र एवं शर्ते जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in से डानलोड कर अपने विभाग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं।

भवदीय,

(डॉ0 वी0षण्मुगम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि महानिदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को उक्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सर्वाधिक प्रचलन वाले दो राष्ट्रीय समचार पत्रों एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में 6 सेमी X 8 सेमी0 के स्पेश में प्रकाशित करवाते हुए देयक भुगतान हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 वी0षणमुगम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

E-Mail- election09@gmail.com ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या: 2185 /XXV–21/2023 देहरादून: दिनांक 09 नवम्बर 2023.

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय उत्तराखण्ड में अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में निम्नलिखित पदों पर विभिन्न विभागों से रिक्ति के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्मिकों से सम्बघित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अग्रसारण करते हुए आमंत्रित किये जाते हैं। सेवा स्थानान्तरण दो वर्षों हेतु की जायेगी, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले भी समाप्त किया जा सकता है। पदों का विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार हैं–

क्र0सं0	पद का नाम/वेतनमान	पदों की संख्या	वेतनमान सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर	रिक्त पदों का स्थान
1	अनुभाग अधिकारी वेतनमान–56100–177500 लेबल–10	01 (एक)	लेबल–10	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
2	समीक्षा अधिकारी वेतनमान–47600–151100 लेबल–8	02 (दो)	लेबल–8	––ऐ––
3–	सहायक समीक्षा अधिकारी वेतनमान– 44900–142400 लेबल–7	05(पांच)	लेबल–7	––ऐ––

इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का प्रारूप एवं तत्सम्बन्धी आवश्यक शर्तें संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सेवा स्थानान्तरण/[redacted] हेतु अवगत कराते हुए उनके अनुरोध पत्र विभागीय अनापत्ति सहित दिनांक 30 नवम्बर 2023 के अपरान्ह 05:00 बजे तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही उक्त की एक प्रति अपने विभागीय सूचना पट पर भी चश्पा करवाने का भी कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 वी0षणमुगम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

E-Mail- election09@gmail.com ceo_uttaranchal@eci.gov.in

आवेदन पत्र का प्रारूप

.... के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1–नाम तथा वर्तमान पदनाम–

2–जन्मतिथि–

3–सातवें वेतनमान की संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल–

4–उक्त क्रमांक–3 में नियमित नियुक्ति में अर्हकारी सेवा– वर्ष

5–विभाग का नाम जिसमें वर्तमान में कार्यरत हैं–

6–मौलिक नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम–

7–श्रेणी, एस0सी0 / एस0टी0 / ओबीसी–

8–मूल निवास का पता–

9–वर्तमान पता–

10–शैक्षिक योग्यता–

11–लेखा सम्बन्धी कार्यों का अनुभव (हॉ / नही)–..

12–स्थापना सम्बन्धी कार्यों का अनुभव (हॉ / नही)–..

13–हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण का अनुभव (हॉ / नही)–..

14–सेवा अखण्डता का विवरण–

15–विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या तथा दिनांक–

16–विगत पांच वर्षों की चरित्र प्रविष्टियां की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।

घोषणा–

मैनें ध्यान से उक्त विज्ञप्ति का अध्ययन कर लिया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित बायोडेटा का मूलांकन पद के लिए चयन के समय चयन समित द्वारा भी किया जाएगा।

उम्मदीवार के हस्ताक्षर
नाम / पदनाम....................................
कार्या0 पता–..................................
मो0नम्बर–..
ई–मेल का पता–..........................

कार्यालय का नाम–(सम्बन्धित विभाग)..

संख्या– / दिनांक– /2023

विभागीय सक्षम अकिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्री/श्रीमती..पदनाम.. ....पता...इस कार्यालय में दिनांक ....मौलिक रूप से (पदनाम)..में नियुक्त हुए हैं, जो वर्तमान में सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन लेबल–.................................. ....वेतनमान..में (पदनाम)...दिनांक..........................से अनवरत कार्यरत हैं। मौलिक नियुक्ति से आतिथि तक इनकी सेवायें खण्डित नहीं रही हैं और इनके ऊपर कोई विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं हैं और किसी न्यायालय में लम्बित भी नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उनके द्वारा वर्णित पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु विभागीय अनापत्ति प्रदान की जाती हैं।

हस्ताक्षर...
नाम...
पदनाम..
कार्यालय की मुहर...
फोन नं0..
ई–मेल..

उक्त अधिकारी/कर्मचारी का आवेदन पत्र आवेदित पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु मुख्य निर्वचन अधिकारी उत्तराखण्ड को संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है।

अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर/
कार्यालय मुहर

मो0 न0–
ई–मेल आईडी–

प्रतिनियुक्ति हेतु शर्ते

एतद्द्वारा लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर रिक्ति के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण के आधार पर दो वर्ष के लिए कार्मिक रखे जाने हैं, जिसे बिना पूर्व सूचना के पहले भी समाप्त किया जा सकता है। विभिन्न विभाग/कार्यालयों से सेवा स्थानान्तरण के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी नियत प्रारूप पर अपने आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित अग्रसारण करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 30 नवम्बर 2023 के अपरान्ह 5:00 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड में उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन पत्र एवं शर्ते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

क्र0सं0	पद का नाम/वेतनमान	पदों की संख्या	वेतनमान सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर	रिक्त पदों का स्थान
1	अनुभाग अधिकारी वेतनमान–56100–177500 लेबल–10	01 (एक)	लेबल–10	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
2	समीक्षा अधिकारी वेतनमान–47600–151100 लेबल–8	02 (दो)	लेबल–8	––ऐ––
3–	सहायक समीक्षा अधिकारी वेतनमान– 44900–142400 लेबल–7	05(पांच)	लेबल–7	––ऐ––

1–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लेबल–10–रू0 56100–177500 **अनुभाग अधिकारी (राजपत्रित) के पद हेतु उक्तानुसार 01 पद रिक्त है इसे सेवा स्थानांतरण द्वारा राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से भरा जाना है जो–**

(क) 1–जो मूल काडर या विभाग में सादृश पद धारण किये हुए है।

2–जो मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार वेतन लेबल–10 रू0 56100–177500 में न्यूनतम 01 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा शासकीय/प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव रखते हों।

3–कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।

2–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लेबल–8–समीक्षा अधिकारी समूह "ग" (अराजपत्रित) के पद हेत उक्तानुसार 02 पद रिक्त है इसे सेवा स्थानांतरण द्वारा राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से भरा जाना है जो–

क) 1–जो मूल काडर या विभाग में सादृश पद धारण किये हुए है।

2–जो मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार **वेतन लेबल–8–रू0** 47600–151100 में में न्यूनतम 01 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा शासकीय/प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव रखते हों।

3–कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।

3–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन लेबल–7–सहायक समीक्षा अधिकारी समूह ''ग'' (अराजपत्रित) के पद हेत उक्तानुसार 05 पद रिक्त है इसे प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से भरा जाना है जो–

क) 1–जो मूल काडर या विभाग में सादृश पद धारण किये हुए है।

2–जो मूल काडर या विभाग में सातवें वेतन आयोग के संस्तुति के अनुसार **वेतन लेबल–7–रू0** 44900–142400 में न्यूनतम 01 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा शासकीय/प्रशासनिक कार्यों का अच्छा अनुभव रखते हों।

3–कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।

निम्न लिखित टिप्पणियां सेवा स्थानान्तरण पर लिये जाने वाले सभी पदों हेतु समान रहेंगी।

टिप्पण–1 (पोषक संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकरी, जो अपने मूल काडर में पदोन्नति हेतु पात्रता श्रेणी में हैं वे सेवा स्थानान्तरण के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होगें। इसी प्रकार किसी विभाग में सेवा स्थानान्तरण पर नियुक्त कार्मिक भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सेवा स्थानान्तरण के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगें।

टिप्पण–2 सेवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त पदों के लिए चुने गये अधिकारियों के पास मूल संवर्ग में अपना ग्रेड वेतन, मौजूदा नियमों और आदेश के अनुसार सेवा स्थानान्तरण पर वेतनमान देय होगा।

सेवा स्थानान्तरण हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा पिछले पांच वर्षो की एसीआर (फोटोस्टेट प्रतियां प्रत्येक पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) निर्धारित आवेदन पत्र के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद ACR की सत्यापित फोटोकॉपी के बिना या अन्यथा अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

आवेदक के प्रशासकीय विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी–3– सेवा स्थानान्तरण हेतु अंतिम रूप से चयन के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आवेदनों को अग्रेषित करते समय, यह पुष्टि की जाए कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला विचाराधीन/लंबित नहीं है। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होना चाहिएः–

1– राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले पांच वर्षो की एसीआर की फोटोकॉपी

2– सतर्कता/जांच का प्रमाण पत्र

3– सेवा अंखडता प्रमाण पत्र

4– विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा स्थानान्तरण हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल में।

आवेदन पत्र इस कार्यालय की वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

ह०/-